

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अव्यवहार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण तैयार किया :-

(हस्ताक्षर):-


3/11/2020

(पदनाम):-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :-

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :-

(कार्यालय) :-

तारीख :-



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- (1) इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अविभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा सथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेज में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हो, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विदिष्ट सम्पत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो, उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियां उनके सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिस उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।